क्रम सं0	फाईल सं0	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विषय	अधिनियम	निस्तारण तिथि
33.	120/22–23	समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान, देहरादून।	नबालिग छात्रा से दुष्कर्म में चार साथीयों पर मुकदमा विषयक।	पोक्सो	19.09.2023
34.	123/22–23	श्री सुनील कुमार, नन्दुफार्म, ऋषिकेश, देहरादन।	प्रार्थी की पुत्री पीहू जाटव की टी0सी0 स्कूल से प्राप्त किये जाने विषयक।	आर0टी0ई0	03.10.2023
35.	127/22–23	श्रीमती मोनिका शर्मा नि0–273/ए/10 गोविन्दपुरी, रानीपुर रोड़, हरिद्वार।	प्रधानाचार्य द्वारा पुत्री के मानसिक उत्पीड़न से निष्कासित विषयक।	आर0टी0ई0	03.10.2023
36.	129/22–23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान।	घर से निकली नाबालिग लापता छात्रा के संबंध में।	जे0जे0	27.10.2023
37.	138/22–23	अनीस अहमद, बेल रोड़, मोहब्बेवाला, देहरादून।	प्रार्थी व उसके पुत्र का आर्थिक मानसिक शोषण करने एवं प्रार्थी के पुत्र का भविष्य खराब करने विषयक।	जे0जे0	24.05.2023
38.	139/22–23	मा0 सदस्य रेखा रौतेला, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान।	अल्मोड़ा में देघाट स्याल्दे के बच्चों पर लीसा ढालने के संबंध में।	अन्य	17.04.2023
39.	140/22–23	आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान।	कुक ने छात्रा को भेजा अश्लील मैसेज के संबंध में।	पोक्सो	03.10.2023
40.	143/22–23	श्री रागीब अली, डांडा जीवनगढ़, विकासनगर, देहरादून।	सनरेज इण्टरनैशनल स्कूल द्वारा मनमानी फीस वसूलने विषयक।	आर0टी0ई0	28.04.2023

क्रम सं0	फाईल सं0	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विषय	अधिनियम	निस्तारण तिथि
41.	146 / 22–23	हमराज राव नि0– मौहल्ला कोटखान ज्वालापुर, हरिद्वार।	आयोग को प्रेषित शिकायती पत्र के संबंध में।	जे0जे0	04.09.2023
42.	147 / 22–23	श्री ईश्वर सिंह नेगी संजीव कण्डवाल, मियांवाला, रायपुर रोड़, देहरादून।	आयोग को प्रेषित शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र के संबंध में।	अन्य	26.10.2023
43.	152 / 22–23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के संबंध में। चमोली	बेटे के शव देख बदहवास हो गयी मां के संबंध में।	जे0जे0	05.09.2023
44.	153 / 22–23	मौ0 काशिफ नि0–मकान नं0–60 वन बिहार मेहूवाला, देहरादून।	नबालिग बेटियों के स्कूल व पढ़ाई के संबंध में।	आर0टी0ई0	03.10.2023
45.	154 / 22–23	श्री गोविन्द राम आर्य नि0– निर्मल गली नं0–03 टि0ग0।	कु0 आयुषी के विद्यालय में मानसिक शोषण विषयक।	आर0टी0ई0	02.01.2024
46.	156 / 22–23	श्रीमती मोनिका टम्टा पत्नी श्री नीलश यादव ग्राम बनियावाला प्रेमनगर, देहरादून।	पिता द्वारा नवजात शिशु को स्वीकार करने से इन्कार के विषयक।	अन्य	05.09.2023
47.	157 / 22–23	समाचार पत्र हिन्दुस्तान में प्रकाशित खबर के संबंध में स्वतः संज्ञान। देहरादून	12 वी के छात्र से मारपीट कर फाड दिया कान का पर्दा विषयक।	जे0जे0	18.08.2023
48.	160 / 22–23	श्रीमती बिन्दु देवी, नि0–नेतानगर सुल्तानपुर पट्टी ऊधमसिंह नगर।	स्कूल में उनके पुत्र के साथ अनैतिक व्यवहार के संबंध में।	आर0टी0ई0	28.04.2023

वर्ष 2022—23

क्रम सं0	फाईल सं0	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विषय	अधिनियम	निस्तारण तिथि
49.	165 / 22—23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान। ऊधमसिंह नगर।	सौतेले पिता ने दो बच्चों की काट डाली उंगलियां विषयक।	जे0जे0	01.11.2023
50.	166 / 22—23	श्रीमती कृतिका राणा, यमुना खादर नियर डिग्री कॉलेज, डाकपत्थर, विकासनगर, देहरादून।	नबालिग बच्ची की कस्टडी के संबंध में।	जे0जे0	02.01.2024
51.	168 / 22—23	श्री सरताज हुसैन, पुत्र स्व0श्री अनवर हुसैन नि0—कमेटी लाईन नई बस्ती काठगोदाम, नैनीताल।	नाबालिग बच्चों से बाल मजदूरी कराये जाने विषयक।	बालश्रम	03.10.2023
52.	176 / 22—23	वि0प्रा0स0, अध्यक्ष, रा0प्रा0वि0 कैनोटा, कालसी, विकासनगर, देहरादून।	कालसी स्कूल के अंतर्गत रा0प्रा0वि0 कैनाटा पुनः निर्माण तथा विद्यालय भवन में लगी मैटिरियल को हटाने व बच्चों के भविश्य के संबंध में।	आर0टी0ई0	03.10.2023
53.	180 / 22—23	समस्त अभिभाक, कक्षा—7 सी0 डी0एस0बी0 ऋषिकेश, देहरादून।	प्राईवेट स्कूल डी0एस0बी0 ऋषिकेश की अध्यापिका द्वारा बच्चों का शोषण।	जे0जे0	27.10.2023
54.	185 / 22—23	श्री कशव शर्मा, आर0ओ0 कियासैन पसस्थली, अल्मोड़ा।	श्री केशव शर्मा की शिकायती पत्र पर कार्यवाही के संबंध में।	आर0टी0ई0	03.10.2023

वर्ष 2022–23

क्रम सं0	फाईल सं0	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विषय	अधिनियम	निस्तारण तिथि
55.	186 / 22–23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर आयोग का स्वतः संज्ञान। ऊधमसिंह नगर।	ज्सपुर की छात्रा के साथ दुष्कर्म विषयक।	पोक्सो	20.04.2023
56.	188 / 22–23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान। देहरादून	13 साल की किशोरी ने दिया बच्चे को जन्म विषयक।	पोक्सों	26.10.2023
57.	191 / 22–23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान। देहरादून।	नाबालिग बेटी से दष्कर्म में आरोपित बाप गिरफ्तार विषयक।	पोक्सो	26.10.2023
58.	192 / 22–23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान। उत्तरकाशी	उत्तरकाशी के एक स्कूल में अध्ययनरत आठवीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत विषयक।	जे0जे0	20.04.2023
59.	193 / 22–23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान। ऊधमसिंहनगर।	नाबालिग बेटियों से दुष्कर्म करने पर पिता गिरफ्तार विषयक।	पोक्सो	18.08.2023
60.	195 / 22–23	समाचार पत्र द टाईम्स आफ इंडिया में प्रकाशित खबर पर आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान। देहरादून।	Addict sexually assaults sisters for forces them to take drugs & beg held विषयक।	पोक्सो	20.04.2023
61.	198 / 22–23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान। देहरादून	महिला को झासे में लेकर तीन बेटियों के धर्मांतरण का आरोप विषयक।	अन्य	06.03.2024

वर्ष 2022—23

क्रम सं0	फाईल सं0	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विषय	अधिनियम	निस्तारण तिथि
62.	199 / 22—23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान। ऊधमसिंह नगर।	काशीपुर में नौवीं की छात्रा से युवक ने किया दुष्कर्म विषयक।	पोक्सो	27.10.2023
63.	210 / 22—23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान। देहरादून।	पड़ोसी पर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म पर मुकदमा विषयक।	पोक्सो	20.04.2023
64.	208 / 22—23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान। हरिद्वार	बेटी से दुष्कर्म कर पिता हुआ फरार।	पोक्सो	27.10.2023
65.	209 / 22—23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर पर आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान। चमोली	प्रभावितों को स्कूल से षिफ्ट नहीं कर पाया प्रशासन।	आर0टी0ई0	27.10.2023
66.	223 / 22—23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान। देहरादून।	झाड़ियों में खीच किशोरी से किया दुष्कर्म का प्रयास विषयक।	पोक्सो	10.01.2024
67.	224 / 22—23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान। देहरादून।	नवजात को नाले में फेंका मां भी भर्ती विषयक।	जे0जे0	04.12.2023
68.	229 / 22—23	श्रीमती सोफिया नाज पुत्री श्री मुस्ताक अहमद नि0—नई बस्ती चन्दर रोड़, डालनवाला देहरादून।	प्रार्थीनी का नाबालिग बच्चा दिलवाने विषयक।	जे0जे0	10.05.2023
69.	231 / 22—23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान। देहरादून।	दून अस्पताल में भर्ती किशोरी से वार्ड ब्वाय ने की छेड़खानी विषयक।	पोक्सो	17.04.2023

वर्ष 2022—23

क्रम सं0	फाईल सं0	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विषय	अधिनियम	निस्तारण तिथि
70.	232 / 22—23	श्री वीरेन्द्र सिंह ग्राम कोल्हूपानी तरला पो0ओ0 नन्दा की चौकी प्रेमनगर, देहरादून।	नाबालिग बच्चों के उत्पीड़न व शिक्षा से वंचित करने विषयक।	आर0टी0ई0	05.09.2023
71.	234 / 22—23	समाचार पत्र दैनिक जागरण में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान। देहरादून।	संदिग्ध हालात में कमरे में मिला 12 वी के छात्र का शव कें संबंध में।	जे0जे0	05.09.2023
72.	235 / 22—23	कु0 अकांक्षा त्रिपाठी, पुत्री स्वः श्री कमल कुमार नि0— जी0एम0एस0 रोड़, देहरादून।	श्री मुकेन्द्र चौधरी एवं डॉ0 राकेश शर्मा द्वारा प्रार्थीनी पर बुरी नजर व सम्पति हडपने पर कानूनी कार्यवाही विषयक।	जे0जे0	23.05.2023
73.	236 / 22—23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान। देहरादून।	सैन्य अधिकारी की बेटी से दुष्कर्म बेटे से कुकर्म विषयक।	पोक्सो	28.03.2024
74.	237 / 22—23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान। हरिद्वार	रूड़की में अवैध पटाखा फैक्टरी में धमाका चार लोग जिंदा जले विषयक।	जे0जे0	05.09.2023
75.	241 / 22—23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान। देहरादून।	बेरहम शिक्षक की क्रूरता छात्रा का तोड़ा हाथ विषयक।	जे0जे0	18.08.2023
76.	242 / 22—23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान। देहरादून।	10 वी की छात्रा से दुष्कर्म तेजाब डालने की धमकी विषयक।	जे0जे0	04.10.2023

वर्ष 2022–23

क्रम सं0	फाईल सं0	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विषय	अधिनियम	निस्तारण तिथि
77.	244/22–23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान। देहरादून।	नाबालिग बेटी से दुष्कर्म में पिता गिरफ्तार विषयक।	पोक्सो	18.08.2023
78.	245/22–23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान। देहरादून।	मासूम छात्रा से दुराचार करने वाला गिरफ्तार विषयक।	पोक्सो	27.10.2023
79.	247/22–23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान। देहरादून।	सोशल मीडिया में वायरल खबर महिला टीचर ने 04 साल के बच्चे की बेहरहमी से पिटाई किये जाने के संबंध में।	जे0जे0	05.09.2023
80.	250/22–23	श्री ललित नेगी, पुत्र श्री बालीराम नि0–यू0वी0आई0 बैक, आराघर, देहरादून।	10 वर्षीय बालिका तुलसी को बचाने हेतु।	पोक्सो	03.10.2023
81.	255/22–23	श्री पूनम वशिष्ठ, 50–डी0एल0रोड़, देहरादून।	प्रार्थी के वाद को पोक्सो कोर्ट में योजित किये जाने के संबंध में।	पोक्सो	02.01.2024
82.	257/22–23	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान। देहरादून।	अपहरण के बाद किशोरी से दुष्कर्म विषयक।	पोक्सो	18.08.2023
83.	258/22–23	मो0 इकरम, निकट बड़ी मस्जिद माजरा, देहरादून।	बच्चों को स्कूल से टी0सी0 दिलाये जाने विषयक।	आर0टी0ई0	23.05.2023
84.	261/22–23	श्री राजेन्द्र बिजल्वाण, नि0–जीवनवाला, भानियावाला, देहरादून	श्री गुरू राम राय पब्लिक स्कूल भानियावाला में प्रधानाचार्य द्वारा बच्चों के परीक्षाफल रोके जाने विषयक।	आर0टी0ई0	28.04.2023

वर्ष 2023 – 24					
क्रम सं0	फाईल सं0	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विषय	अधिनियम	निस्तारण तिथि
1.	12/23–24	आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान।	नबालिग से दुराचार के आरोपी नामजद।	पोक्सो	01.11.2023
2.	38/23–24	अमर उजाला समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान।	हरिद्वार में दस साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म विषयक।	पोक्सो	10.01.2024
3.	41/23–24	दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान।	तीन वर्ष से किशोरी से कर रहा था दुष्कर्म विषयक।	पोक्सो	10.01.2024
4.	42/23–24	दैनिक जागरण समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान।	मुस्लिम युवक ने ब्लैक मेल कर नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म विषयक।	पोक्सो	19.10.2023
5.	44/23–24	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान।	खिलौने का लालच देकर आठ साल के बच्चे से दुष्कर्म के संबंध में।	पोक्सो	01.11.2023
6.	46/23–24	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान।	रिश्ते के भाई ने नाबालिग से किया दुष्कर्म विषयक।	पोक्सो	28.03.2024
7.	52/23–24	सोशल मीडिया में वायरल प्रकाशित खबर पर स्वतः संज्ञान।	सड़क के किनारे आड़ू बेच रहे छोटे बच्चों की वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा पिटाई किये जाने विषयक।	जे0जे0	06.03.2024
8.	61/23–24	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान।	नबालिग के साथ दुष्कर्म मतांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप विषयक।	पोक्सो	01.11.2023

क्रम सं0	फाईल सं0	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विषय	अधिनियम	निस्तारण तिथि
9.	68/23–24	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान।	मानकों को पूरा न करने वाले स्कूलों का बन्द होगा अनुदान विषयक।	आर0टी0ई0	04.10.2023
10.	69/23–24	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान।	मन्दिर के पुजारी पर किशोरी से अश्लील हरकत का आरोप के संबंध में।	पोक्सो	01.11.2023
11.	70/23–24	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान।	10 साल की मासूम से दुष्कर्म आरोपी फरार विषयक।	पोक्सो	04.12.2023
12.	71/23–24	श्री जितेन्द्र पुत्र धीर सिंह गांव अलीपुर पो0ओ0–बहादराबाद, हरिद्वार।	शिक्षा विभाग द्वारा आर0टी0ई0 के तहत निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने विषयक/ 20 बच्चों के दाखिले के संबंध में।	आर0टी0ई0	03.10.2023
13.	74/23–24	श्री भूपेन्द्र सिंह चौहान ग्रम श्यामपुर नौआबाद, जिला हरिद्वार।	बच्चे को विद्यालय से निष्कासित किये जाने पर कार्यवाही विषयक।	आर0टी0ई0	28.03.2024
14.	77/23–24	समाचार पत्र मे प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान।	कमरे में मिला दम्पत्ति का शव बीच में विलख रहा था पांच दिन का मासूम विषयक।	जे0जे0	06.03.2024
15.	87/23–24	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान।	स्कूल में बच्चों से मारपीट किये जाने विषयक।	आर0टी0ई0	02.09.2023
16.	101/23–24	श्रीमती प्राची जुयाल, ई–मेल से प्राप्त शिकायत।	कक्षा–10 का सम्पूर्ण शुल्क भुगतान होने के बावजूद, टी0सी0 ना देने के संबंध में कान्वेंट एण्ड जिसस मेरी स्कूल के विरूद्ध प्रेषित शिकायत विषयक।	आर0टी0ई0	03.10.2023

क्रम सं0	फाईल सं0	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विषय	अधिनियम	निस्तारण तिथि
17.	104 / 23–24	आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान	पुजारी ने किशोरी से की छेड़खानी के संबंध में।	पोक्सो	28.03.2024
18.	110 / 23–24	आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान।	रूड़की में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म किये जाने विषयक।	पोक्सो	28.03.2024
19.	112 / 23–24	श्री वी0एम0गौड़, वरिष्ठ नागरिक गुरू राम राय कालोनी पदमपुर सुखरो कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।	जनपद– पौड़ी गढ़वाल तहसील कोटद्वार के अंतर्गत 13 जुलाई 2023 को मालन नदी के पुल टूटने में मृतक स्वर्गीय प्रसन्ना डबराल नि0– हल्दूखाला मोटाढ़ाग, कोटद्वार के 5 वर्ष से छोटे दो बच्चों की देखभाल भरण पोशण एवं शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता के संबंध में।	अन्य	04.12.2023
20.	114 / 23–24	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान।	पार्टी में किशोर से छेड़छाड़ विषयक।	पोक्सो	28.03.2024
21.	117 / 23–24	आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान।	कालसी में मार्कशीट लेने गई छात्रा से दुराचार विषयक।	पोक्सो	06.03.2024
22.	120 / 23–24	आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान।	दून अस्पताल में किशेर की मौत पर हंगामा विषयक।	जे0जे0	01.11.2023
23.	125 / 23–24	आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान।	मानसिक रूप से कमजोर किशोर से किया दुष्कर्म विषयक।	पोक्सो	27.10.223

वर्ष 2023 – 24

क्रम सं0	फाईल सं0	शिकायतकर्ता का नाम व पता	विषय	अधिनियम	निस्तारण तिथि
24.	134 / 23–24	श्रीमती दुर्गा नि0–सी–64 पो0ओ0–कोटी अथुर निकट सी0एन0सी0 हाईस्कूल, जोलीग्रान्ट, देहरादून।	ससुराल पक्ष द्वारा प्रार्थीनी को मारपीट घर से बेघर कर बालक को जबरन अपने पास बंधक बनाकर रखने विषयक।	अन्य	28.03.2024
25.	135 / 23–24	श्रीमती बबली रावत, शमशेरगढ़, बालावाला, देहरादून।	डी0एस0वी0 इण्टरनेषनल स्कूल द्वारा कक्षा–11 में दाखिला न दिये जाने विषयक।	आर0टी0ई0	28.03.2024
26.	137 / 23–24	श्री लक्ष्मण राम पुत्र स्व0श्री कीट राम ग्रा0 बूगा नई बस्ती पो0 मुनस्यारी जिला–पिथौरागढ़	वात्सलय योजना से वंछित बच्चों को लाभ दिलाये जाने विषयक।	अन्य	28.03.2024
27.	153 / 23–24	श्रीमती पूनम शर्मा, ई–मेल के माध्यम से प्राप्त शिकायत।	जी0आर0डी0 वर्ल्ड स्कूल द्वारा टी0सी0 सर्टिफिकेट ना दिये जाने विषयक।	आर0टी0ई0	02.01.2024
28.	182 / 23–24	समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का स्वतः संज्ञान।	डी0डी0 चिम्याल पब्लिक स्कूल गुल्लरहटी, नैनीताल में अनियमित्ताओं के संबंध में।	आर0टी0ई0	28.03.2024
29.	200 / 23–24	स्वतः संज्ञान	हल्द्वानी में संरक्षण ग्रह की नाबालिग से दुष्कर्म के संबध में।	पोक्सो	28.03.2024
30.	203 / 23–24	सिद्धार्थ शर्मा पुत्र स्व0 सतीश कुमार नि0–पिन्डर वैली नकरौन्दा लेन नं0–13 हर्रावाला थाना –डोईवाला, देहरादून।	नाबालिग पुत्र एरिक के साथ मारपीट किये जाने विषयक।	जे0जे0	28.03.2024

आयोग के विशेष मामले

(भाग–2)

प्रकरण सं. – 1

वाद सं0	37/2022–23, दिनांक 22 जून, 2022
वाद का विषय	माता द्वारा बालिका को घर वापस बुलाने संबंधित

संक्षिप्त विवरण – दिनांक 22 जून, 2022 को श्रीमती यासमीन के आयोग में अपनी व्यथा व्यक्त की गयी कि उनके पति के 4–5 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो जाने के बाद से, वह अपने चार नाबालिग पुत्रियों का लालन–पालन घरों में सफाई का काम करके कर रही हैं। इस कारण, वह अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाती हैं। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए उनकी ननद ने उनकी बड़ी पुत्री, 15 वर्षीय मन्तशा, को बहका कर अपने घर ले गई और अब उसे वापस नहीं भेज रही है।

आयोग के द्वारा उठाया गया कदम – आयोग के द्वारा उक्त मामले का त्वरित संज्ञान लेते हुए आयोग की मनोवैज्ञानिक को बालिका से वार्ता करने के निर्देश दिये। काउन्सलिंग में बालिका ने बताया कि उसकी मां ने उसे डांटा था, जिससे नाराज होकर वह अपनी फूफी (बुआ) के घर चली गई थी। फूफी के घर पर किसी परिचित ने उसे यह कहने के लिए उकसाया कि उसकी माँ गलत काम (वैश्यावृत्ति) करती है, क्योंकि उस समय वह अपनी माँ से नाराज थी और बात की गहराई को समझ नहीं पाई, उसने वही ब्यान दिया, किंतु जब पुलिस ने उसकी माँ को जेल में डालने की बात की, तो उसने सच बयान दे दिया और अपनी गलती स्वीकार की। बालिका ने बताया कि वह अपनी माँ से माफी मांगना चाहती है और जल्द से जल्द अपने घर लौटना चाहती है। उक्त मामला शिकायतकर्ता और उसकी पुत्री के बीच का आपसी विवाद था, जिसे रिश्तेदारों और परिचितों के हस्तक्षेप के कारण गलत दिशा में मोड़ा गया।

समाधान व उपलब्धि – काउन्सलिंग के दौरान यह देख गया कि शिकायतकर्ता एक गरीब विधवा महिला हैं, जो अपने परिवार का पालन–पोषण अकेले कर रही हैं। इसलिये बच्चों के पालन पोशण हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली स्पॉन्सरशिप योजना से लाभान्वित करवाये जीने हेतु आयोग स्तर से विभाग को संस्तुति भेजी गयी, जिसकी पूर्ण जाँच के बाद बालिका को समाज कल्याण विभाग द्वारा लाभन्वित करवाया गया।

प्रकरण सं. – 2

वाद सं0	175 / 2019–20 दिनांक 07 नवम्बर, 2019
वाद का विषय	सिद्धार्थ शर्मा बनाम डी0पी0एस0, रानीपोखरी, देहरादून।

संक्षिप्त विवरण – दिनांक 07 नवम्बर, 2019 को श्री सिद्धार्थ शर्मा के }ारा अयोग में पत्र प्रेशित कर शिकायत किया गया कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, रानीपोखरी, देहरादून द्वारा उनके तीन बच्चों का दाखिला विद्यालय में करवाया गया किन्तु विद्यालय द्वारा संतोशजनक सेवायें प्रदान नहीं किये जाने के कारण उन्होंने के बच्चों को विद्यालय से निकाल लिया। किन्तु विद्यालय के द्वारा जमा की गयी राशि वापस करने से इंकार कर दिया गया, जिससे परेशान हो कर उन्होंने आयोग से सहायता के लिये अनुरोध किया।

आयोग के द्वारा उठाया गया कदम – आयोग द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून को जाँच कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) देहरादून से आख्या में यह जानकारी दी गई कि 1) दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऋषिकेश में नई प्रविष्टियाँ 2 जुलाई 2018 से की गईं। 2) मान्यता प्रदान किए जाने से पहले विद्यालय की गतिविधियों या प्रबन्धन और अभिभावकों के बीच हुए समझौतों की कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। 3) मान्यता प्रदान करने की तिथि तक सभी भौतिक संसाधन विद्यालय में उपलब्ध थे।

प्रकरण पर शिकायतकर्ता, स्कूल प्रबन्धन व जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0), देहरादून को दिनांक–18 अक्टूबर 2023 को सुनवाई पर तलब किया गया जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी देहरादून द्वारा अवगत कराया गया कि विद्यालय पहले श्रीमती रचना पंड़ित द्वारा पार्टनरशिप के मानकों के विपरीत चलाया जा रहा था, जिस कारण विद्यालय पर 11 लाख रू0 का अर्थ दण्ड भी लगाया गया, जिससे पूर्व व वर्तमान दोनों प्रबन्धकों के मध्य छात्रों की फीस वापसी का विवाद उत्पन्न हो गया। इसी क्रम में प्रकरण पर आयोग द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल, रानी पोखरी को सभी वांछित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

प्रकरण पर दिनांक–12 अप्रैल 2023 को दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आयोग के द्वारा श्री शर्मा को रू 10,000 (दस हज़ार रूपये) की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने और अगली सुनवाई में शुल्क और अनियमितताओं के बारे में जानकारी देने के लिए निर्देशित किया गया।

समाधान – दिनांक 11 जुलाई, 2023 को हुई सुनवाई में आयोग के द्वारा देखा कि शिकायतकर्ता द्वारा मा0 न्यायालय में कोई कानूनी मामला दायर नहीं किया गया है। इसलिये आदेश दिया गया कि स्कूल प्रबंधन श्री शर्मा को रू 1,00,000 (एक लाख रूपये) वापस करेंगे।

उपलब्धि – दि0 12 जुलाई, 2023 को दोनों पक्षों द्वारा उक्त सुनवाई में पारित आदेश का अनूपालन करते हुए शिकायतकर्ता श्री सिद्वार्थ शर्मा का शपथपत्र एवं दिल्ली पब्लिक स्कूल, रानीपोखरी के प्रबन्धक समिति, सचिव श्री केशव मोहन द्वारा भुगतान कि गई धनराशि के चैक की प्रति आयोग को उपलब्ध करायी गयी तथा संतुश्टि प्रकट की गयी।

आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम / कार्यशालाएँ

आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम व कार्यशालाएँ वर्ष 2023 –24

दिनांक	कार्यक्रम / कार्यशाला का नाम	कार्यक्रम स्थल	जनपद
20 मई, 2023	बालश्रम एवं बालभिक्षावृति उन्मूलन तथा पुनर्वास पर एक दिवसीय कार्यशाला	आई0आर0डी0टी0ई0 ऑडिटोरियम	देहरादून
05 व 06 जून, 2023	चतुर्थ बाल विधानसभा–2022 के द्वितीय सत्र।	ग्रीष्मकालीन विधानसभा परिसर, गैरसैण,	चमोली।
11 अक्टूबर, 2023	बाल अधिकारों एवं बाल सुरक्षा के सम्बन्ध में संवेदीकरण व जागरुकता कार्यशाला।	ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सभागार	ऊधमसिंहनगर
20 नवम्बर, 2023	बाल अधिकारों एवं बाल सुरक्षा के सम्बन्ध में संवेदीकरण व जागरुकता कार्यशाला।	विकास भवन सभागार	टिहरी गढ़वाल।
16 जनवरी, 2024	बाल अधिकारों एवं बाल सुरक्षा के सम्बन्ध में संवेदीकरण व जागरुकता कार्यशाला।	स्प्रिंग डेल्स सीनियर सैकेण्डरी स्कूल	अल्मोड़ा
18 जनवरी, 2024	बाल अधिकारों एवं बाल सुरक्षा के सम्बन्ध में संवेदीकरण व जागरुकता कार्यशाला।	विकास भवन सभागार	पिथौरागढ़
24 जनवरी, 2024	राष्ट्रीय बालिका दिवस	राजभवन, उत्तराखण्ड	देहरादून
12 फरवरी, 2024 से 14 फरवरी, 2024	"Emerging Policy Shifts for Strengthening Child Rights"	होटल सैफरन लीफ, जीएम0एस0 रोड	देहरादून

बालश्रम एवं बालभिक्षावृत्ति उन्मूलन तथा पुनर्वास पर एक दिवसीय कार्यशाला

दिनांक **20 मई, 2023**

स्थान **आई0 आर0 डी0 टी0 ऑडिटोरियम, सर्वे चौक, देहरादून।**

मुख्य अतिथि **श्रीमती रेखा आर्या, मा0 मंत्री महोदया, महिला सशक्ति करण एवं बाल विकास विभाग।**

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बालश्रम और बालभिक्षावृत्ति पर उन्मूलन और पुनर्वास पर चर्चा करने के उद्देश्य से कार्यशाला का आयोजन किया गया।

मुख्य अतिथि, श्रीमती रेखा आर्या, मा0 कैबिनेट मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के द्वारा अपने सम्बोधन में बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ समाज की जिम्मेदारी पर जोर दिया गया तथा समाज को इस समस्या को और अधिक संवेदनशीलता से देखने व सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। मा0 मंत्री जी ने विभागों और संगठनों से एकजुट होकर काम करने की अपील के साथ विभागीय अधिकारी को सहयोग नहीं करने की दशा में उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही किए जाने की बात कही गयी।

परिचर्चा सत्र – कार्यशाला में विभिन्न विभागों से श्री अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, महिला कल्याण, उप मुख्य अधिकारी, महिला कल्याण और संगठनों, एसपी, कानून

डॉ० गीता खन्ना, मा० अध्यक्ष, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग, श्री विनोद कपरवाण, मा० सदस्य, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए।

और व्यवस्था, सी0ओ0 सिटी, एंटी–ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, रेलवे पुलिस फोर्स नोडल अधिकारी, बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम उपनिदेशक, राज्य परियोजना, समग्र शिक्षा अभियान कमिश्नर, श्रम विभाग ने अपने–अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए। पुलिस विभाग ने जागरूकता अभियानों की योजना साझा की, वहीं श्रम विभाग ने बाल श्रम से संबंधित कानूनों की जानकारी दी। समर्पण सोसाइटी, आसरा ट्रस्ट और चाइल्डलाइन जैसे संगठनों ने रेस्क्यू और पुनर्वास की प्रक्रियाओं पर चर्चा की और समस्याओं को उजागर किया।

सांस्कृतिक प्रस्तुति – यूथ इनोवेशन द्वारा बाल श्रम और भिक्षावृत्ति पर आधारित नाट्य प्रस्तुति दी गई, जिसमें इन गंभीर मद्दों पर समाज को जागरूक करने और प्रोत्साहित करने का संदेश दिया।

निष्कर्ष – कार्यशाला बालश्रम और बालभिक्षावृत्ति जैसे गंभीर मद्दों पर विचार करने और समाधान पर पहुँच पाने में एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुई। विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग और समन्वय की आवश्यकता को मान्यता दी गई और आगे की योजनाओं पर चर्चा की गई। उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस आयोजन के माध्यम से इन मुद्दों के समाधान के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया।

श्रीमती रेखा आर्या, मा0 कैबिनेट मंत्री, महिला सशिक्तिकरण एवं बाल विभाग सभा को सम्बोधित करते हुए।

श्री अशोक कुमार, पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड सभा को सम्बोधित करते हुए

चतुर्थ बाल विधानसभा-2022
द्वितीय सत्र

दिनांक	:	5 व 6 जून, 2023।
स्थान	:	ग्रीष्मकालीन राजधानी, विधानसभा परिसर, गैरसैण, चमोली।
मुख्य अतिथि	:	श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी, मा0 विधानसभा अध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर 17 से 21 नवंबर 2022 तक एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिनमें पूरे राज्य से चुने गए बच्चों को बाल विधायक नामित किया था। बाल विधानसभा के प्रथम सत्र में बच्चों को बाल विधानसभा की प्रक्रिया, उनके कार्यों, और अन्य विभागों के साथ समन्वय की जानकारी दी गई। उसके बाद दूसरे सत्र में बीते छह महीने में बाल विधायकों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए "चतुर्थ बाल विधानसभा–2022" के द्वितीय सत्र का दो दिवसीय कार्यक्रम ग्रीष्मकालीन विधानसभा परिसर, गैरसैंण, चमोली में आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ विधानसभा परिसर में हुआ। श्रीमती ऋतु खंडूड़ी भूषण, मा0 विधानसभा अध्यक्ष, उत्तराखण्ड ने बाल विधायकों को विधानसभा की प्रक्रिया और कार्यों की जानकारी दी। मा0 विधानसभा अध्यक्ष महोदय द्वारा बाल विधान सभा के मंत्री मंडल व बाल विधायकों से वार्ता की गई व उनके द्वारा पुछे गये प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर प्रदान किया गया तथा बाल विधायकों को उनके क्षेत्र में अधिक से अधिक निष्ठा व लगन से कार्य किये जाने हेतु प्रेरित किरने के साथ भविष्य के लिये आर्शीवाद दिया गया। क्षेत्रीय विधायक श्री अनिल नौटियाल जी, मा0 विधायक कर्णप्रयाग, ने भी बच्चों को भविष्य के लिए मार्गदर्शन व आर्शीवाद दिया।

श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी, मा० विधानसभा अध्यक्ष, श्री अनिल नौटियाल, मा0 विधायक, कर्णप्रयाग व डॉ0 गीता खन्ना, मा0 अध्यक्ष उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल विधायकों के साथ बाल विधानसभा के द्वितीय सत्र का दीप प्रज्जवलन कर उद्घाटन करते हुए।

डा0 गीता खन्ना, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने अधिकारियों, बाल विधायकों और प्लान इंडिया के प्रतिनिधियों का स्वागत कर बाल विधायकों को उनके परिवारों, पर्यावरण, स्वच्छता और सामाजिक समन्वय पर काम करने के लिए प्रेरित किया गया। उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की मा0 अध्यक्ष महोदया, डा0 गीता खन्ना द्वारा समस्त अधिकारीगणों, बाल विधायकों, प्लान इण्डिया, बाल विधायकों का अभिनन्दन कर स्वागत किया गया। बाल विधायकों द्वारा पूर्व छः माह में किये गये कार्यो के लिये अभिवादन करते हुये पूर्ण आत्मविश्वास, आत्म निर्भता के साथ अपने क्षेत्र में कार्य किये जाने हेतु कहा गया। बाल विधायकों को अपने परिवारजनों व अध्यापकों का सम्मान, पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता पर कार्य किये जाने हेतु जोर दिया तथा अपने क्षेत्र के ग्राम प्रधानों से समन्वयन स्थापित कर समाज में फैली अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिये प्रयास किये जाने पर जोर दिया तथा साथ हेल्थ, सेनिटेशन एण्ड न्यूट्रीशियन कमेटी के बारे में पढते हुये जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही किये जाने की बात बताई। डा0 एस0के0 सिंह, अनुसचिव, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास योजनाओं की जानकारी दी गयी। श्री अर्जुन रावत ने स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और कोविड काल में किए गए प्रयासों की जानकारी दी।

श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी, मा० विधानसभा अध्यक्ष बाल विधायकों को सम्बोधित करते हुए।

डॉ0 गीता खन्ना, मा0 अध्यक्ष उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल विधायकों को सम्बोधित करते हुए।

बाल–विधायक द्वारा बाल विधानसभा सत्र के प्रश्नकाल सत्र प्रश्न व उत्तर देते हुए।

मा0 सदस्य श्री विनोद कपरवाण, अनुसचिव, डा0 एस0के0सिंह, बाल मुख्यमंत्री श्री रोहित परिहार व बाल उप मुख्यमंत्री कु0 दीक्षा खर्कवाल के कर कमलों से विधानसभा परिसर में वृक्षारोपण कर किया गया। विधायक श्री अनिल नौटियाल ने बाल विधायकों और अधिकारियों का अभिनंदन किया। बाल विधायकों को उनकी भविष्य की कार्यप्रणाली पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया। समस्त बाल विधायकों ने पिछले छह महीने में किए गए कार्यों की समीक्षा के साथ–साथ आगामी कार्यों की योजना बनाने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी, मा0 विधानसभा अध्यक्ष, उत्तराखण्ड व डा0 गीता खन्ना, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा विधानसभा परिसर में वृक्षारोपण कर कार्यक्रम का समापन किया गया।

कार्यक्रम में महिला कल्याण, स्वास्थ्य विभाग, और शिक्षा विभाग से संबंधित अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी श्रीमती अंजना गुप्ता और श्री गोपाल थपलियाल, राज्य समन्वयक, प्लान इंडिया के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन आयोग द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करके किया गया।

श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी, मा० विधानसभा अध्यक्ष, श्री अनिल नौटियाल, मा0 विधायक, कर्णप्रयाग व डॉ0 गीता खन्ना, मा0 अध्यक्ष उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग समस्त बाल विधायकों के साथ।

बाल अधिकारों एवं बाल सुरक्षा के सम्बन्ध में संवेदीकरण व जागरूकता कार्यशाला

जनपद - ऊधमसिंह नगर

दिनांक **11 अक्टबर, 2023**

स्थान **ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सभागार, जनपद ऊधमसिंहनगर।**

प्रदेश के बच्चों व उनके हितधारकों को बाल अधिकारों, बाल सुरक्षा के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा प्रदेश के हर जनपद में कार्यशालाओं का आयोजन कर बच्चों और उनके हितधारकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया। इसी श्रृंखला में जनपद ऊधमसिंह नगर में दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में डॉ0 गीता खन्ना, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा सर्वप्रथम सभी को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए बालिकाओं की सुरक्षा, उनके अधिकारों और उन्नति के लिए समन्वित प्रयासों की जानकारी दी गयी। मा0 अध्यक्ष ने कार्यशाला में उपस्थित सरकारी और गैर–सरकारी विद्यालयों की कक्षा 6 से 12 तक की उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं से बातचीत की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद प्रदान किया तथा सभी उपस्थित महानुभावों ने बालिकाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

श्री दीपक गुलाटी, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बालिकाओं के लिए विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया तथा अधिक से अधिक बालिकाओं को इन योजनाओं से लाभान्वित करवाए जाने पर जोर दिया। श्रीमती सुमन राय, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा राज्य की बालिकाओं की सभी क्षेत्रों

में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की सराहना की गयी। उन्होंने बालिकाओं को शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि वे न केवल राज्य बल्कि पूरे विश्व में उत्तराखण्ड राज्य का नाम रौशन कर सकें। डॉ0 एस0के0 सिंह, अनुसचिव, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा बाल अधिकारों एवं आयोग की जानकारी दी।

कार्यक्रम में सुश्री व्योमा जैन, जिला परिवीक्षा अधिकारी के द्वारा बालिकाओं के लिए राज्य स्तर पर संचालित योजनाओं की जानकारी दी गयी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंह नगर के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, प्रधानमंत्री पोषण योजना, बालिकाओं के लिए विशेष प्रावधान, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में निपुण कार्यक्रम, विद्यालयों में दी जाने वाली व्यवसायिक शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशित शिक्षा और अन्य लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की गयी। पुलिस विभाग की साईबर सेल के द्वारा साईबर सुरक्षा, गेमिंग ऐप और स्वास्थ्य विभाग ने एनीमिया, मासिक धर्म, पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम के तहत कन्या भ्रूण हत्या के प्रावधानों और दंड के बारे में जानकारी दी, साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए कार्यों की भी चर्चा की। महिला सशक्तिकरण और श्रम विभागों द्वारा भी जानकारियाँ साझा की गईं, जो बालिकाओं के विकास और सुरक्षा के लिये आवश्यक व सहायक हैं। अंत में कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापित करके किया गया।

डॉ0 गीता खन्ना, मा0 अध्यक्ष, श्री विनोद कपरवाण, मा0 सदस्य, श्री दीपक गुलाटी, मा0 सदस्य, श्रीमती रेखा रौतेला, मा0 सदस्य उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग जनपद उधमसिंह नगर में कार्यशाला में अधिकारी गणों को सम्बोधित करते हुए।

बाल अधिकारों एवं बाल सुरक्षा के सम्बन्ध में संवेदीकरण व जागरूकता कार्यशाला

जनपद - टिहरी गढ़वाल

दिनांक **20 नवम्बर, 2023।**

स्थान **विकास भवन सभागार, नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल।**

जनपद टिहरी गढ़वाल में नशामुक्ति व साईबर सेफ्टी के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कार्यशाला का आयोजन समस्त रेखीय विभागों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर जन जागरूकता के उद्देश्य से किया गया। डा0 गीता खन्ना, मा0 अध्यक्ष के द्वारा नशामुक्ति व साईबर सेफ्टी के बारे में जानकारी साझा की गयी तथा कार्यशाला में उपस्थित सभी विभागों को आयोग के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा गया। इसके अतिरिक्त चतुर्थ बाल विधानसभा के बाल विधायकों के माध्यम से नशे से सम्बन्धित जागरूकता हेतु कार्य किया जा रहा है और उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया जा रहा है। यह भी बताया कि आयोग का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, समाज कल्याण, प्रोबेशन, चाइल्डलाइन, श्रम विभाग और बाल कल्याण समिति से समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया। डॉ. एस. के. सिंह, अनुसचिव उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा आयोग के कार्य व दायित्व की जानकारी साझा की गई।

डॉ0 गीता खन्ना, मा0 अध्यक्ष, श्री विनोद कपरवाण, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग जनपद टिहरी गढ़वाल में कार्यशाला में उपस्थित समस्त अधिकारी व अतिथिगणों के साथ।

पुलिस विभाग द्वारा NDPS Act के तहत जनपद में बच्चों के लिये नशे के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियानों की जानकारी प्रदान की गयी साथ ही बताया गया कि जो बच्चे नशे की चपेट में आ चुके है, उनके पुनर्वास व काउन्सलिंग हेतु विभाग द्वारा उठाये गये कदम की जानकारी साझा की गयी। बाल कल्याण समिति द्वारा नशे के विरूद्ध चलाये जा रहे जागरूकता अभियान की जानकारी साझा की गयी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, महिला कल्याण के द्वारा भारत सरकार व उत्तराखण्ड सरकार द्वारा बच्चों से सम्बन्धित प्रदेश में संचालित योजनाओं व उनके सकारत्मक प्रभावों के बारे में सभा में उपस्थित लोगों को बताया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा बच्चों के क्षेत्र में कार्य करने वाले राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम व राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के सहयोग से नशे में लिप्त बच्चों के पुनर्वास सम्बन्धी व जागरूकता सम्बन्धी किये गये कार्यो की जानकारी दी गयी। सुश्री समीक्षा सूरी के द्वारा बच्चों को नशे से बचाव करने एवं नशे की चपेट में आये हुए बच्चों के पुनर्वास के सम्बन्ध में आ रही समस्याओं की जानकारी दी गयी।

साईबर सेल द्वारा साईबर सेफ्टी तथा साईबर हाईजीन के सम्बन्ध में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से सम्बन्धित मुद्‌दों के बारे में बताया, जिसमें गेमिंग ऐप्स के माध्यम से किस प्रकार से लालसा देते हुए वित्तीय नुकसान के बारे में बताया। हैकिंग के जोखिमों, फर्जी प्रोफाइल और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के बारे में भी बताया गया। ऑनलाइन व इन्टरनेट के प्रयोग में आ रही चुनौतियों और ब्लैकमेल को रोकने के उपायों के बारे में बताते हुए बैंक विवरण की सुरक्षा और साइबर अपराध की रिपोर्टिंग के तरीकों की जानकारी प्रदान की। सभी को वर्तमान समय में सोशल मीडिया के प्रयोग से सतर्क रहने और साइबर खतरों से बचाव के लिए सक्रिय उपाय करने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरन्त रिपोर्टिंग के महत्व के बारे में बताया गया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापित करके किया गया।

जनपद टिहरी गढ़वाल की कार्यशाला में उपस्थित समस्त बालिकाएं।

जनपद टिहरी गढ़वाल की कार्यशाला में उपस्थित क्षेत्र के बाल विधायक एवं अन्य बच्चें

बाल अधिकारों एवं बाल सुरक्षा के सम्बन्ध में संवेदीकरण व जागरूकता कार्यशाला

जनपद - अल्मोड़ा

दिनांक **16 जनवरी, 2024।**

स्थान **स्प्रिंग डेल्स सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, जनपद अल्मोड़ा।**

डॉ. गीता खन्ना, मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा कार्यशाला में बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए सामाजिक न्याय तथा उनके अधिकारों के महत्व पर केवल प्रकाश ही नही डाला गया, छात्र–छात्राओं को बाल अधिकारों की विस्तृत जानकारी भी प्रदान किया गया तथा कार्यशाला में उपस्थित सभी को अपने अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी रखने पर ज़ोर दिया। मा0 अध्यक्ष के द्वारा खेद जताया गया कि सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले अधिकारों और योजनाओं की सही जानकारी न होने के कारण कई लोग इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। उत्तराखण्ड सरकार निर्धन परिवारों के बच्चों को अच्छे स्कूलों से शिक्षा प्राप्त करवा सकें, इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। जनपद स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन कर प्रत्येक जनपद में संबंधित विभागों, एन0जी0ओ0 और शिक्षकों के साथ मिलकर काम किया जाने पर ज़ोर दिया।

मा0 अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि आयोग द्वारा चतुर्थ बाल विधानसभा के बाल विधायकों के माध्यम से स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और अन्य संस्थानों में जाकर बच्चों से संवाद स्थापित किया जा रहा है और उनकी समस्याओं को जानकर उनका समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मा0 अध्यक्ष द्वारा उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग कोचिंग संस्थानों पर

डॉ0 गीता खन्ना, मा0 अध्यक्ष, श्री विनोद कपरवाण, मा0 सदस्य, श्रीमती रेखा रौतेला, मा0 सदस्य, श्रीमती सुमन राय, मा0 सदस्य, श्री अजय वर्मा, मा0 सदस्य, उत्तराखण्ड बाल अधिकार संरक्षण आयोग जनपद अल्मोड़ा में कार्यशाला में अधिकारी गणों को सम्बोधित करते हुए।